

भारत सरकार  
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 698  
गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

विद्युत खरीद

698. श्रीमती शारदा अनिल पटेल: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) वर्तमान में सौर और जलविद्युत इकाइयों द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार की जा रही कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है;
- (ख) सरकार द्वारा उन राज्यों के बारे में क्या मानदंड कार्यान्वित किए गए हैं जो विशेषकर विद्युत खरीद के संबंध में भारत/विदेशों से निवेशकों को आमंत्रित करने के इच्छुक हैं; और
- (ग) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में देश में जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री आर. के. सिंह)

- (क) दिनांक 31.10.2019 तक देश में सौर तथा पन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से 36.35 गीगावाट की संचित क्षमता संस्थापित की गई है। संस्थापित क्षमता का राज्य-वार और स्रोत-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
- (ख) सरकार द्वारा देश के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए भारत तथा विदेश से निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ निम्न भी शामिल हैं:-
- वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की संस्थापना करने के लक्ष्य की घोषणा;
  - दिसम्बर, 2022 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत के इंटर-स्टेट विक्रय हेतु इंटर-स्टेट पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों और नुकसानों को हटाना;
  - ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
  - वितरण लाइसेंस धारक को किफायती तरीके से प्रतिस्पर्धी दरों पर सौर और पवन विद्युत की खरीद करने में समर्थ बनाने के लिए मानक बोली प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों को अधिसूचित करना;
  - वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री की घोषणा;
  - वृहत्स्तरीय अक्षय ऊर्जा क्षमता संयोजन के ग्रिड एकीकरण को सुगम बनाने के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना का कार्यान्वयन;
  - नई योजनाओं की शुरुआत करना, जैसे कि प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II
- (ग) वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने के सरकार के लक्ष्य के एक हिस्से के रूप में 5 गीगावाट क्षमता लघु पन बिजली परियोजनाओं (25 मेगावाट क्षमता तक की) से प्राप्त होगी। दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक 4647.10 मेगावाट की संचित क्षमता की लघु पन बिजली परियोजनाएं संस्थापित की जा चुकी हैं। लघु पन बिजली परियोजना को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना पर विचार किया जा रहा है।

'विद्युत खरीद' के संबंध में पूछे गए दिनांक 21.11.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 698 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 31.10.2019 तक ग्रिड इंटर-एक्टिव अक्षय विद्युत की राज्य-वार संस्थापित क्षमता					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वृहत पन बिजली	छोटी पन बिजली (25 मेगाटवाट तक)	सौर ऊर्जा	कुल संचयी क्षमता (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	1610.00	162.11	3316.82	5088.93
2	अरुणाचल प्रदेश	515.00	131.105	5.610	651.72
3	असम	350.00	34.11	41.23	425.34
4	बिहार		70.70	149.35	220.05
5	छत्तीसगढ़	120.00	76.00	231.35	427.35
6	गोवा		0.05	4.78	4.83
7	गुजरात*	1990.00	62.35	2687.57	4739.92
8	हरियाणा		73.50	247.52	321.02
9	हिमाचल प्रदेश	9809.00	906.51	29.63	10745.14
10	जम्मू और कश्मीर	3449.00	180.03	19.13	3648.16
11	झारखंड*	210.00	4.05	38.40	252.45
12	कर्नाटक	3644.20	1256.73	6497.42	11398.35
13	केरल	1856.50	222.02	141.39	2219.91
14	मध्य प्रदेश	2235.00	95.91	2116.08	4446.99
15	महाराष्ट्र*	3047.00	379.575	1661.330	5087.91
16	मणिपुर	105.00	5.45	4.30	114.75
17	मेघालय	322.00	32.53	0.12	354.65
18	मिजोरम	60.00	36.47	1.42	97.89
19	नागालैंड	75.00	30.67	1.00	106.67
20	ओडिशा	2142.25	64.625	397.280	2604.16
21	पंजाब	1096.30	173.55	947.10	2216.95
22	राजस्थान	411.00	23.85	4737.63	5172.48
23	सिक्किम	2169.00	52.11	0.07	2221.18
24	तमिलनाडु*	2178.20	123.05	3097.97	5399.22
25	तेलंगाना*	2405.60	90.87	3620.75	6117.22
26	त्रिपुरा		16.01	9.41	25.42
27	उत्तर प्रदेश	501.60	25.10	1045.10	1571.80
28	उत्तराखंड	3756.35	214.320	314.990	4285.66
29	पश्चिम बंगाल*	1341.20	98.50	108.49	1548.19
30	अंडमान और निकोबार		5.25	12.19	17.44
31	चंडीगढ़			36.99	36.99
32	दादर और नगर हवेली			5.46	5.46
33	दमन और दीव			16.02	16.02
34	दिल्ली			148.41	148.41
35	लक्षद्वीप			0.75	0.75
36	पांडिचेरी			3.20	3.20
37	अन्य				0.00
	कुल (मेगावाट)	<b>45399.20</b>	<b>4647.107</b>	<b>31696.260</b>	<b>81742.57</b>
* पंपीकृत पनबिजली योजनाओं सहित (स्रोत- सीईए)					